



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

पत्रांक:-2041-पै0एवंआर0-28/पाकालि/11-108-पेंशन-31/90,

दिनांक: 28 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एवं वितरण कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी 2011 से महंगाई राहत की लागू करें।

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-135-पै0एवंआर0-28/पाकालि/11-108-पी-31/90, दिनांक 01.02.11, जिसके द्वारा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को महंगाई राहत दिनांक 01 जुलाई 2010 से 45 प्रतिशत स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्य सरकार की अनुरूपता में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन पर कारपोरेशन के समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जनवरी 2011 से महंगाई राहत की 6 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2011 से 6 प्रतिशत की उपरोक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 45 प्रतिशत की दर बढ़कर 51 प्रतिशत हो जायेगी।
2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।
3. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1054-डब्लू0सी0/राविप-औ0स0-19-14 (23) एफ-85, दिनांक 16.06.1988 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त प्रस्तर 1 से 3 के अनुसार किया जायेगा।
4. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-2041(I) पी0एण्डआर0/पाकालि0/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केसको-कानपुर/ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांसको।
6. पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियों/ट्रांसको।

21/07/11

9. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
12. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू०पी०, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
14. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी०एन०बी० हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/10 अशोक मार्ग, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी०एन०बी० हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56 डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

27/11

आज्ञा से,



(एच०सी०लाल)

अनुसचिव (पे०एवंआर०)